



झारखण्ड सरकार

राज्य शहरी विकास अभिकरण
नगर विकास एवं आवास विभाग

चतुर्थ तल, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची-834004


आम सूचना

पत्र संख्या - 2015

राँची, दिनांक... 24/03/17

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि-

1. झारखण्ड सरकार द्वारा अमृत योजना के तहत 'झारखण्ड विष्ठा एवं सेप्टेज प्रबंधन नीति, 2017' को लागू किया जाना प्रस्तावित है। झारखण्ड में निरंतर बढ़ती हुई शहरी जनसंख्या के कारण मानवीय एवं पशु विष्ठा का सुरक्षित ढंग से निष्पादन किया जाना आवश्यक है। वर्तमान में मानवीय विष्ठा का प्रबंधन प्रमुखतः सिवर लाईन एवं सेप्टिक टैंक के माध्यम से किया जाता है। संपूर्ण झारखण्ड राज्य को Open Defecation Free (ODF) करने के लिए मानवीय विष्ठा का Treatment वैज्ञानिक ढंग से किया जाना आवश्यक है ताकि इससे वातावरण और जल स्रोतों को दूषित होने से बचाया जा सके।
2. 'झारखण्ड विष्ठा एवं सेप्टेज प्रबंधन नीति, 2017' को विभागीय वेबसाइट udhd.jharkhand.gov.in पर देखा जा सकता है।
3. वर्णित 'झारखण्ड विष्ठा एवं सेप्टेज प्रबंधन नीति, 2017' प्रारूप के संबंध में कोई भी व्यक्ति अपना सुझाव/परामर्श, सूचना प्रकाशन के दिन से आगामी 15 दिनों के अन्दर लिखित रूप में नाम, पता एवं मोबाईल सहित राज्य शहरी विकास अभिकरण, नगर विकास एवं आवास विभाग के कार्यालय या ई-मेल ccbpjharkhand@gmail.com पर भेजा जा सकता है।
4. उक्त 15 दिनों के उपरांत प्राप्त सुझाव/मंतव्य पर किसी भी हालत में विचार नहीं किया जाएगा।


23/3/17

(राजेश कुमार शर्मा)
निदेशक।